

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

जज अदालत

मुकाम

बनाम

किस्म मुकदमा

नं.

पान

न्यायालय उपखण्ड

मुकदमा नं.

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p>	<p>जज अहकाम हुक्म की तारीख</p>
<p>21/6/22</p>	<p>पताबन्धी पेश हुई। अबुलाय फरीकेन उप.1 पंजाबीन परिचारी आज दिवस कार्य में रुका/अपमज/अवकाश पर हैं। अतः पेश जली मल अवेशानुसार आइन्दा दिनांक 19/7/22 को पेश हो।</p>	
<p>19/7/22</p>	<p>पार्श्वीण मी कोर हें एका रविह लाम्का दादा अमाकतनाम) पेश किया जज साद ही तदुक्त कलमीर के प्राप्ति विकल्प युक्त मुकाम अस्ति डि जरी कलक विवेदन किया। अतीत परिचारी के प्राप्ति विकल्प प्रशास मुकाम अस्ति डि जरी कलक को आपने नहीं होगा (ताम)। तदुक्त अस्ति डि जरी ही प्राप्त की केवल मुकाम होकर दर्ज नम्बर हो कर हो तदुक्त अस्ति जज दाकिड करत हो</p>	

अति

आर.सी.एम.एस. नम्बर 2013/00286

(आदेश 20 का नियम 6 व 7 जाब्दा दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुकाम बईजलास मलसीसर जिला झुंझुनू (राज0)

पीठासीन अधिकारी:- साधुराम जाट
(आर.ए.एस.)

दावा बाबत खाता विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तिम डिक्री मुकदमा इबादाई

मुकदमा नम्बर :- 52/2013 (रामकुमार आदि बनाम हीराराम आदि)

निर्णय दिनांक :- 19.07.2022

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू, साधुराम जाट (आर.ए.एस.), उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर बहाजिरी वकील वादीगण मिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व अन्तिम डिक्री दी जाती है कि

मुकदमा में न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 20.08.2019 को प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार मलसीसर को आदेश दिया गया था कि राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा एवं कब्जा काश्त के अनुसार विधिवत् विभाजन किया जाकर विभाजन प्रस्ताव इस न्यायालय में प्रस्तुत करे।

तहसीलदार मलसीसर के आदेश क्रमांक भू0अ0/2020/908 दिनांक 29.06.2020 के द्वारा विभाजन प्रस्ताव इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है। विभाजन प्रस्ताव एवं सलग्न नक्शे अनुसार अन्तिम डिक्री दी जाती है। विभाजन प्रस्ताव एवं सलग्न नक्शा अन्तिम डिक्री का भाग रहेगा।

बसक्ष्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 19.07.2022 को जारी की गई।



(साधुराम जाट)
उपखण्ड अधिकारी
साधुराम जाट
मलसीसर
उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर